E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0– 17 / 2023.....6277

प्रेषक

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री प्रकाशवीर,
माननीय सदस्य,
बिहार विधान सभा,
रजौली (नवादा), रजौली थाना के पास।

पटना, दिनांक :– 11/08/2023

विषय :– मुख्यमंत्री, सचिवालय, QR Code सं0– 2023023842 एवं 2023024380 से प्राप्त भवदीय पत्र संख्या–38 / 2023 दिनांक–12.05.2023 पर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र जो संविदा / नियोजित अमीनों को सेवा नियमित करने के संबंध में प्राप्त है, के आलोक में कहना है कि संविदा नियोजन हेतु बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 (छायाप्रति संलग्न) एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन हेतु बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या–72 / रा0 दिनांक–27.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्रमशः मार्गदर्शक सिद्धांत एवं नियमावली निर्गत की गई है। संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 की कंडिका–(10), (11) एवं अधिसूचना संख्या–72 / रा0 दिनांक–27.02.2019 कंडिका–8 (1) में यह प्रावधानित है कि मानदेय के आधार चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार मानें जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अतः भवदीय द्वारा प्राप्त पत्र पर निदेशालय स्तर पर कार्रवाई किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन
11/8/2023
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–03 / भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0– 17 / 2023.....6277.....**पटना,दिनांकः–**11/08/2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–10, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/8/2023
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2023\Mayur Ji\Assistant Director\file no._17_2023_03.08.2023.doc

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक– 18.07.2007

विषयः– संविदा के आधार पर नियोजन की प्रकिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत ।

वित्त विभागीय पत्रांक 7752 /वि(2) दिनांक 25.9.02 के तहत राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि सरकार के औपचारिक निर्णय से भिन्न निगमों/स्वशासी निकायों से विभागों में प्रासंगिक संकल्प सं0 7469 दिनांक 16.11.99 के बाद अगर कोई प्रतिनियुक्ति की गयी हो तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाय । साथ ही यह भी संसूचित किया गया था कि अस्थायी योजनाओं में कार्य करने हेतु यदि निश्चित अवधि के लिए कर्मियों की आवश्यकता हो तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति सीमित अवधि के लिए करने पर विचार किया जा सकता है; संबंधित प्रशासी विभाग आवश्यकतानुसार प्रस्ताव गठित कर मंत्रिपरिषद की आर्थिक नीति एवं आर्थिक विषयक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । उक्त के आलोक में कतिपय विभागों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के प्रस्ताव में सहमति मांगी जाने लगी है, परन्तु संविदा के आधार पर नियोजन हेतु नीति निर्धारित नहीं होने के कारण ऐसे प्रस्तावों में एकरूपता नहीं रहती है तथा इन पर निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होता है । इसके अलावा संविदा पर नियोजन में भी, चाहे वह सीमित/अल्प अवधि के लिए ही क्यों न हो, आरक्षण प्रावधानों के लागू होने, समान अवसर की संवैधानिक आपेक्षाओं के पूरा होने, चयन में पारदर्शिता रहने आदि का ध्यान रखा जाना आवश्यक है । अतः विभागों के ऐसे प्रस्तावों के संदर्भ में, नियोजन में एकरूपता रखने एवं ऐसे नियोजन पर नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ एक नीति/मार्गदर्शक सिद्धांत का निरूपण राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निम्नांकित नीति/मार्गदर्शक सिद्धांतों को निरूपित करने का निर्णय लिया गया है –

(1) संविदा के आधार पर नियोजन भी स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही किया जायेगा और विज्ञापन के आधार पर ही ऐसा नियोजन किया जा सकेगा ।

(2) ऐसा नियोजन किसी खास प्रयोजन या/और अल्पावधि के लिए किसी स्कीम के तहत ही होगा । परन्तु स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति में विलम्ब होने की स्थिति में भी अल्पावधि के लिए ऐसा नियोजन किया जा सकेगा । परन्तु ऐसा नियोजन स्थायी रूप से सृजित पदों के विरूद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिए होगा

(3) ऐसे नियोजनों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा । जहाँ नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण संविदा पर नियोजन की स्थिति हो वहाँ नियमित नियुक्ति के रोस्टर विन्दु का ही अनुपालन किया जायेगा । संविदा के आधार पर नियोजन की समाप्ति के बाद ऐसी रिक्तियों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति के समय उसी रोस्टर विन्दु से नियमित नियुक्तियाँ प्रारम्भ की जायेंगी, जिस रोस्टर विन्दु से प्रारम्भ कर संविदा के आधार पर नियोजन किया गया था ।

(4) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक का निर्धारण विभागीय सचिव, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून पदाधिकारी से गठित समिति द्वारा किया जायेगा । समिति मामले विशेष में बाजार दर को देखते हुए पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी । यदि सरकार में उस तरह का पद उपलब्ध है तो प्रारम्भिक स्टेज का वेतनमान, महगाई वेतन, महगाई भत्ता तथा सभी अन्य श्रेणी के भत्ते जैसे मकान भाड़ा भत्ता को मिलाकर समेकित रूप में जो राशि आयेगी उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण समिति द्वारा किया जा सकेगा । पारिश्रमिक के भुगतान हेतु बजट में "व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए अदायगियाँ" प्राथमिक इकाई के अंतर्गत राशि का प्रावधान कराया जायेगा तथा उसी से इसका भुगतान किया जायेगा ।

(5) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी । उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा । छह माहों की अवधि के संविदा आधारित नियोजन के संदर्भ में सरकारी सेवकों को अनुमान्य वार्षिक आकस्मिक अवकाशों की कुल संख्या के आधे की संख्या में आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा ।

(6) विभिन्न सेवा/संवर्ग/पद के लिए नियमित भर्ती हेतु जो अर्हताएँ निर्धारित हैं वे ही संविदा के आधार पर उस सेवा/संवर्ग/पद में नियोजन हेतु भी रहेंगी ।

(7) संबंधित विभाग ऐसे नियोजन हेतु चयनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसके द्वारा चयनित/अनुशंसित पैनेल से ऐसा नियोजन किया जा सकेगा । चयन समिति की बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य होगा ।

(8) संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा होगी ।

(9) संबंधित सेवा/संवर्ग/पद के लिए विहित नियुक्ति प्राधिकार ही संविदा के आधार पर भी नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे ।

(10) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे । संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नही बनेगा ।

18-7-2007

(11) यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी । इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(12) नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जानेवाले व्यक्ति के बीच संलग्न परिशिष्ट–1 में विहित किये गये प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी) 18-7-2007
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का0– 2401 /पटना, दिनांक– 18·07·2007

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित ।

18-7-2007
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–78/2005–का0– 2401 /पटना, दिनांक– 18·07·2007

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18-7-2007
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–03 / स्था0 नियमावली–02 / 2018– / (3)रा0, पटना–15, दिनांक–

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार राज्य के भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा नियत समय आधारित राज्य के सभी जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य, राजस्व मानचित्रों एवं अधिकार अभिलेखों के अद्यतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, कार्यपालक सहायक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 व्याय के मानदेय पर संविदा आधारित नियोजन एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**–इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार ;

(iii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 ;

(iv) पदों से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन उल्लिखित पद ;

(v) "निदेशक" से अभिप्रेत है, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं पदभारित किया जाय।

(vi) "नियोजन प्राधिकार" से अभिप्रेत है, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना ;

3. **नियोजन के पद।**–(1) अधिनियम के अधीन विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य, राजस्व मानचित्रों एवं अधिकार अभिलेखों के अद्यतनीकरण हेतु मानदेय एवं संविदा आधारित निम्नलिखित पद होंगे:–

(क) विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी ;

(ख) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो ;

(ग) विशेष सर्वेक्षण अमीन ;

(घ) अमीन ;

(ङ) विशेष सर्वेक्षण लिपिक ;

(च) कार्यपालक सहायक ;

(छ) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ;

(ज) आई0टी0 ब्याय।

(2) राज्य सरकार उपरोक्त पदों की स्वीकृत संख्या को समय–समय पर घटा या बढ़ा सकेगी।

(3) कार्यपालक सहायक का नियोजन जिला समाहर्त्ता के पैनल से किया जा सकेगा तथा डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 ब्याय की सेवाएँ बेल्ट्रॉन से प्राप्त किया जा सकेगा।

(4) (क) मान्यता प्राप्त संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों की सेवाएँ विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में प्राप्त की जा सकेगी।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा योग्यताधारी की सेवाएँ विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेगी।

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थानों से अमानत में डिप्लोमा या आई0टी0आई0 योग्यताधारी की सेवाएँ अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेगी।

4. उम्र सीमा ।– उपरोक्त सभी पदों के लिए उम्र सीमा राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए विहित मानदंडों के अनुरूप होंगी। उम्र की गणना 01.01.2019 की तिथि के आधार पर की जायेगी।

5. इन नियोजनों में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा, समय–समय पर, निर्गत अद्यतन आरक्षण के प्रावधान (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होंगे।

6. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता ।– **उपर्युक्त नियम 3 में उल्लिखित पदों का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता का विवरण निम्नवत् होगा :–**

क्र0	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता	संविदा नियोजन में अधिकतम वेटेज (अधिमानता) प्रतिशत में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक + 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (दो वर्ष का सरकारी/ निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव)	1. मैट्रिक–10 2. इन्टर–15 3. स्नातक–50 4. स्नात्कोत्तर–05 5. अनुभव–20	(1) प्रत्येक कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय।
2	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा + 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (दो वर्ष का सरकारी/ निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव)	1. मैट्रिक–10 2. डिप्लोमा–70 3. अनुभव–20	
3	विशेष सर्वेक्षण अमीन	सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा	1. मैट्रिक–10 2. डिप्लोमा–90	
4	अमीन	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या आई0टी0 आई0 से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल	1. मैट्रिक–10 2. डिप्लोमा/ आई0 टी0 आई0 –90	
5	लिपिक/ विशेष सर्वेक्षण लिपिक	स्नातक	1. मैट्रिक–10 2. इन्टर–15 3. स्नातक–70 4. स्नात्कोत्तर–05	
6	कार्यपालक सहायक	जिला द्वारा यथा निर्धारित		
7	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	बेल्ट्रॉन द्वारा यथा निर्धारित		
8	आई0टी0 ब्याय	बेल्ट्रॉन द्वारा यथा निर्धारित		

7. **चयन की प्रक्रिया** ।– (1) आवेदको से ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिए एन0आई0सी0 के माध्यम से निदेशालय द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा। विभिन्न पदों के लिए पात्रता होने पर अलग–अलग आवेदन करना होगा। आवेदन फीस का अवधारण विभाग, आवश्यकतानुसार, कर सकेगा।

(2) मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(3) यह चयन दिनांक–31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर इसका अवधि विस्तार किया जायेगा।

(4) संबंधित पदों पर चयन के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त चयन समिति का गठन निम्नवत होगा :–

(I)	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
(II)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	–	सदस्य
(III)	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित पदाधिकारी	–	सदस्य
(IV)	अल्पसंख्यक वर्ग के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी	–	सदस्य
(V)	सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	–	सदस्य सचिव

(5) अभ्यर्थियों की कॉन्सलिंग हेतु विभाग के माध्यम से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अनुरोध पर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पदाधिकारियें एवं कर्मचारियों की सेवा, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, उपलब्ध की जायेगी।

8. नियोजन की शर्तें ।–

(1) मानदेय के आधार चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न हीं सरकारी सेवकों अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(2) मानदेय आधारित नियोजित कर्मियों की नियोजन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि योजना का अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(3) संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के साथ एकरारनामा किया जायेगा। संविदा अवधि विस्तार किये जाने की स्थिति में उक्त एकरारनामा पुनः किया जाना होगा।

(4) समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन अथवा अन्य साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात् चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का

अवसर प्रदान करेंगे। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा नियोजन समाप्त किये जाने पर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

(5) संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में नियोजित कर्मियों को आकस्मिक अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

9. योगदान एवं प्रशिक्षण।– सफल चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के साथ 15–30 दिनों का प्रशिक्षण जिला/राज्य स्तर पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विशेष भू–सर्वेक्षण शिविरों में सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

10. दायित्व।–नियोजित कर्मियों को, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं तत्संबंधी नियमावली तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों एवं तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार, समयबद्ध तरीके से दायित्वों के निर्वहन एवं कार्य सम्पादित करना होगा।

11. प्रकीर्ण।– नियोजित कर्मियों का स्थापना सम्बंधी कार्यों का नियंत्रण भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0 नियमावली–02/2018– **/रा0, पटना–15, दिनांक–**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0 नियमावली–02/2018– 72 **/रा0, पटना–15, दिनांक–**27-02-20

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी समाहर्त्ता/सभी विभागीय निदेशालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग /राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Fax
E-mail

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/2/19
प्रधान सचिव